प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र / ....

	हुकम या कार्यवाही मय इतिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
../..24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दि. 13/2/24 को पेश हो। ह०	
13/2/24	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रस्तावित रास्ता चरागाह भूमि पर होने से अस्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० फा० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। ह०अं०	

...ायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा जिला बून्दी (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी हरबिन्दर ही सिंह (आर.ए.एस.)

...न.	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
...प्रा.पत्र/2023(ऑनलाईन 2023/24)	24.1.2023	13.02.2024

1. श्री देवीलाल आ0 नारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम गुर्जरो की थडी तह0 तालेडा
2. श्री मोहनलाल आ0 प्रभुलाल जाति गुर्जर निवासी गुर्जरो की थडी तह0 तालेडा
3. गोपाल आ0 नारायण जाति गुर्जर निवासी गुर्जरों की थडी तह0 तालेडा

– प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार डाबी तह0 तालेडा जिला बून्दी
2. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार तालेडा

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता निर्माण अन्तर्गत धारा 251–क (1) आर.टी. एक्ट

उपस्थित अभिभाषकः–

अभिभाषक प्रार्थी :– श्री नन्दसिंह सौलंकी
अभिभाषक अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क की उपधारा (2) राजस्थान टीनेंसी एक्ट सपठित सरकारी संशोधित नियम 2012 के नियम 68 के तहत प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा सं. 19/322 रकबा 2.5576 है0 वाके ग्राम थडी पटवार मण्डल डाबी तहसील तालेडा में स्थित है। प्रार्थीगण की भूमि में आवागमन का मार्ग अप्रार्थी की भूमि ख0सं0 20 रकबा 17.5876 हैक्टे0 वाके ग्राम थडी में से होकर जाता है इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने का कोई दुसरा रास्ता नही है प्रार्थी उक्त नियमो के अन्तर्गत अनुमति एवं राजस्व भू–अभिलेखो में रास्ता दर्ज करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करता है कि अप्रार्थी की भूमि ख0सं0 20 रकबा 17.5876 हैक्टे0 वाके ग्राम थडी पटवार हल्का डाबी में होकर रास्ते की याचना की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा आवेदित रास्ते के सम्बन्ध में औचित्यपूर्ण रिपोर्ट तहसीलदार से प्राप्त करने हेतु तहरीर जारी की गई।

प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते के सम्बन्ध में तहसीलदार तालेडा द्वारा जर्ये पत्रांक 484 दिनांक 11.08.2023 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि मौके पर प्रार्थी द्वारा अपने खाते की भूमि ख0सं0 19/322 रकबा 2.5576 है0 पर प्रस्तावित रास्ता ख0सं0 20 किस्म गै0मु0झाड झक्कड वाले वन (चारागाह हेतु) दर्ज रेकार्ड है, से होकर पहुंचा जाता है जो पहुंच मार्ग हेतु न्यूनतम है व अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। ख0सं0 20 रकबा 17.5876 मे से 0.2925 हैक्टे0 भूमि से होकर प्रस्तावित रास्ता निकलता है, जो 9 मीटर चौडा व 225 मीटर लम्बाई होगी, रास्ते में कुल प्रस्तावित रकबा 0.2925 हैक्टे0 है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क की उपधारा (1) राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तहत अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कृषि भूमि पर रेकार्ड में रास्ता नही होने एवं कृषि भूमि पर कृषि कार्य एवं उपकरण इत्यादि की पहुंच हेतु रास्ता लिया जाना महती आवश्यकता है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार की रिपोर्ट से भी होती है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी की आराजी कृषि भूमि पर पहुँच हेतु नियमानुसार तहसीलदार तालेड़ा को रास्ता सृजन करने के लिए आदेश फरमावें।

अप्रार्थी पेरोकार सरकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि ख0सं0 23 किस्म गै0मु0 रास्ता से होते हुए ख0सं0 20 किस्म गै0मु0 झाड झक्कड वाले वन (चरागाह हेतु) से होकर पहुंचता है। श्रीमान विशिष्ठ

चिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा पत्र कमांकः 6(137) राज–3/2022 जयपुर दिनांक 11. 22 से अवगत कराया है कि डी.बी.सि.रि. (पी.आई.एल.) याचिका सं0 326/2022 श्री राजस्थान गौ–सेवा ति जरिये महामंत्री श्री रघुनाथ सिंह बनाम राजस्थान सरकार व अन्य सक्ष माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में पारित आदेश दिनांक 15.03.2022 अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज गौचर भूमि की स्थिति में फेरबदल पर रोक लगाई गई है जिस हेतु माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन डीबीसिरि.(पीआईएल) याचिका सं0 326/2022 में निर्णय पारित होने के उपरान्त निर्णय अनुसार कार्यवाही के निर्देश प्रदत्त है। अतः चरागाह भूमि से रास्ते हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव को निरस्त किया जावे।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड अनुसार प्रार्थीगण की आराजी पर पहुँच हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग का अभाव प्रकट है एवं प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी का है किन्तु प्रस्तावित भूमि की किस्म गै0मु0 झाड झक्कड वाले वन (चारागाह हेतु) होने से डी.बी.सि.रि. (पी.आई.एल.) याचिका सं0 326/2022 श्री राजस्थान गौ–सेवा समिति जरिये महामंत्री श्री रघुनाथ सिंह बनाम राजस्थान सरकार व अन्य सक्ष माननीय राजस्थान उच्च न्यायायल जोधपुर में पारित आदेश दिनांक 15.03.2022 अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज गौचर भूमि की स्थिति में फेरबदल पर रोक लगाई गई है। जिस हेतु माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन डीबीसिरि.(पीआईएल) याचिका सं0 326/2022 में निर्णय पारित होने के उपरान्त निर्णय अनुसार कार्यवाही के निर्देश प्रदत्त होने से प्रस्तावित ख0सं0 20 वाके ग्राम थडी से रास्ता सृजित नही किया सकता। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

आदेश

परिणामतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 13.02.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा